उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की

माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल

सं0 1875/उप्राशिप/परीक्षा बाहय/2012–13 दिनांकः 17/7/2012

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा परीक्षा–2012 विज्ञापन संशोधन सम्बन्धी सूचना

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की के द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा परीक्षा–2012 के अन्तर्गत दिनांक 1 जुलाई 2012 को विज्ञापन संख्या– 2956-A/UHC/Admin-B/ दिनांक 30/6/2012 का प्रकाशन किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 3439/U.H.C./Admn.B/Rec/2011 दिनांक 17 जुलाई 2012 के क्रम में विज्ञापन में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

- बिन्दु–14–संलग्नक में नोट– अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आरक्षण प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से **06 माह** से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। **के स्थान पर संशोधन के उपरान्त विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 01 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये। (शासनादेश सं0 590/XVII/-3/12-05(O.B.C.)/2010 समाज कल्याण अनुभाग–03 दिनांक 30 मई 2012 के अनुसार।)**
- बिन्दु–8(ii)– के अनुसार **"शारीरिक रूप से विकलांग"** से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जो चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात की विकलांगता से ग्रसित हो।

  टिप्पणीः– विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की उपर्युक्त श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है। (Such person shall have to furnish a fitness certificate as provided in Rule 9 of Uttarakhand Civil Courts Ministerial Establishment Rules 2007)

  में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

  "In the physically handicapped category for the post of Court Clerk OL (One Leg Affected (R and/ or L)), BL (Both Legs Affected but not arms), and OA (One Arm Affected (R or L) physically handicapped persons and for the post of Stenographer OL (One Leg Affected (R and/ or L) and BL (Both Legs Affected but not arms) physically handicapped persons can apply; but such persons also shall have to furnish a fitness certificate as provided in Rule-9 of the Uttarakhand Civil Courts Ministerial establishment Rules, 2007."

अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन के आधार पर ही आवेदन करना सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव